न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2024 दायर दिनांकः 27.11.2024

उनवान

1. प्रमोदी उर्फ परसादी आयु 49 वर्ष पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल पत्नि लटूरलाल जाति माली निवासी शेरगढ हाल निवासी रायपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 28.07.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बरखेडी पटवार क्षेत्र शेरगढ तहसील अटरू की खाता संख्या 6 के ख0नं0 287 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 288 रकबा 2.33 है०, ख0नं0 297 रकबा 1.76 है0 किता 3 रकबा 4.11 हैं0 आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम प्रमोदी पुत्री सरवनलाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ़ तहसील अटरू की खाता संख्या 21 के ख0नं0 613 रकबा 0.03 है०, ख0नं0 614 रकबा 0.36 है०, ख0नं0 615 रकबा 0.73 है०, ख०नं० 616 रकबा 0.07 है०, ख0नं0 618 रकबा 0.25 है०, ख०नं० 619 रकबा 0.32 है० किता 6 रकबा 1. 76 हैं० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया का नाम प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल दर्ज है तथा जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम परसादी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल हैं। प्रार्थिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती

इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थिया के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम परसादी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरववनलाल है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने मे कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल के स्थान पर परसादी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.04.2024 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल के स्थान पर परसादी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2422 दिनांक 02.07.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 परसादी पुत्री श्रवणलाल पत्नी लटूरलाल जाति माली निवासी शेरगढ हाल निवासी रायपुरिया तहसील अटरू व Pw2 देवकिशन पुत्र श्रवणलाल

जाति माली निवासी शेरगढ तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बरखेडी पटवार हल्का शेरगढ सम्वत 2072–75 खाता संख्या 6, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 21, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर, सरपंच ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2024, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी ग्राम व माल बरखेडी जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 6 व जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 21 में सहखातेदार प्रार्थीया के सगे भाई देवकिशन ने भी प्रमोदी का सही नाम परसादी होना स्वीकार किया है तथा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर दिए।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बरखेडी पटवार हल्का शेरगढ तहसील अटरू की खाता संख्या 6 कुल किता 3 का रकबा 4.11 है0 आराजी मे सहखातेदार प्रमोदी पुत्री सरवनलाल के स्थान पर परसादी उर्फ प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल उर्फ सरवनलाल व ग्राम एवं माल शेरगढ के खाता संख्या 21 कुल किता 6 का रकबा 1.76 है0 आराजी में सहखातेदार प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल के स्थान पर परसादी उर्फ प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बरखेडी पटवार हल्का शेरगढ तहसील अटरू की खाता संख्या 6 कुल किता 3 का रकबा 4.11 है0 आराजी मे सहखातेदार प्रमोदी पुत्री सरवनलाल के स्थान पर परसादी उर्फ प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल व ग्राम एवं माल शेरगढ के खाता संख्या 21 कुल किता 6 का रकबा 1.76 है0 आराजी में सहखातेदार प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल के स्थान पर परसादी उर्फ प्रमोदी पुत्री श्रवणलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये

जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां